न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/79

1. चन्द्रप्रकाश आत्मज स्व0 भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी घांटोलिया हाल निवासी प्रताप कालोनी कोटा जंक्शन कोटा राजस्थान
2. कमलाबाई पत्नी स्व0 मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी घांटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
3. संजूगोचर पत्नी स्व0 नरेन्द्र जाति गुर्जर
4. भरत नाबालिग पुत्र नरेन्द्र
5. खुशहाली गोचर नाबालिग पुत्री स्व0 नरेन्द्र जर्ये वलीमाता संजूगोचर पत्नी स्व0 नरेन्द्र जाति गुर्जर निवासी घांटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
6. प्रेमबाई पुत्री स्व0 हीरालाल पत्नी गोपीलाल जाति गुर्जर निवासी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान

——अपीलान्ट

बनाम

1. नटटीबाई पत्नी स्व0 जानकीलाल जाति बैरवा
2. बनवारीलाल आत्मज स्व0 जानकीलाल जाति बैरवा
3. रामेश्वर आत्मज स्व0 जानकीलाल जाति बैरवा
4. दुर्गाशंकर आत्मज स्व0 जानकीलाल जाति बैरवा
5. शिवप्रसाद आत्मज स्व0 जानकीलाल जाति बैरवा
6. सुगनाबाई आत्मजा स्व0 जानकीलाल जाति बैरवा
7. रामरतन आत्मज स्व0 गंगाराम जाति बैरवा निवासीगण ग्राम घांटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–

1. श्री मुकुट बिहारी पारेता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, रेस्पो0 कम 01 लगायत 07 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 08.10.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा वाद संख्या 74/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2024 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रतिवादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त वाद में वादी तथा वादी के पूर्वजों दादा परदादा ग्राम घांटोलिया तहसील सांगोद के निवासी है। जिनके आजीविका का साधन कृषि है। वादीगण के पूर्वजों तथा वादीगण चौकीदारी का काम करते थे। ग्राम घांटोलिया में वादीगण व वादी के पूर्वज 100 वर्षो से भी अधिक समय से निवास करते आ रहे है। वादीगण व वादीगणों के पूर्वज ग्राम घांटोलिया पटवार क्षेत्र कुन्दनपुर तहसील सांगोद में खसरा नम्बर 126 की 9बीघा 02 बिस्वा माल तृतीया जो कि वादी तथा उसके पूर्व उसके पिता के चौकीदारी में खातेदारी में दर्ज थी। वादी उसके पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर बदस्तूर बहैसियत खातेदार कृषक रा0टे0एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व एवं जागीर रियासत होने से पूर्व से वादी तथा उसके पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है और आज भी वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। तथा उक्त वादग्रस्त भूमि को वादी ने काफी समय एवं पैसा खर्च कर सिंचित अवस्था में कर लिया है। वादी एव उसके पूर्वज वाद ग्रस्त भूमि का लगान सरकार को आज तक अदा कर रहे है। काबिज होकर प्रति वर्ष काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबंदी 2047 से 2050 एंव नकल चतुर्थ वर्षीय खसरा गिरदावरी संख्या 2047 एवं नकल चतुर्थ वर्षीय खसरा गिरदावरी संख्या 2015 से 2018, 2019 से 2034 वादपत्र के साथ संलग्न है एवं रसीदात लगान किता 13 साथ संलग्न है। वाद ग्रस्त भूमि पर रा0टे0एक्ट के प्रभावशील होने से पूर्व वादी तथा उसके पूर्वज काबिज होने से पूर्व ही स्वतः ही वादी को खातेदार कृषक की घोषणा का अधिकार प्राप्त हो गया है एवं वादी वादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार कृषक सं0 2015 से पूर्व ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। किन्तु प्रतिवादी 01 के प्रति तथा प्रतिवादी 02 से लगायत 05 के पिता स्व0 हीरालाल पुत्र घांसी गुजर जो कि सन् 1986 में स्वर्गवासी हो गया है, हीरालाल के स्वर्गवास होने के पश्चात् प्रतिवादीगण क्रम 01 लगायत 05 जो उसके विधिक उत्तराधिकारी है एवं स्व0 हीरालाल का आज तक भी फोती इंतकाल तस्दीक नहीं हुआ ओर न ही इस प्रकार के फोती इतंकाल के संबंध में नकल जामबंदी में जो कि वादी द्वारा दिनांक 19.07.1991 को प्राप्त की गई है। उसमें अंकन किया गया है इस कारण उक्त वाद में हीरालाल पुत्र घांसीलाल जिसके कि नाम राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से मृतक हीरालाल के प्रभाव में आ कर उसका नाम राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से मृतक हीरालाल के प्रभाव में आ कर उसका नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित कर दिया । इस कारण हीरालाल के मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 को इस वाद में पक्षकार बनाया गया है वादी के विरूद्ध स्व0 हीरालाल ने एक

वाद सम्मानीय न्यायालय धारा 183 रा0टे0एक्ट 11.10.85 को पेश किया था जिसमें वादी ने अपना पक्ष प्रस्तुत कर जवाब दावा बिल मुकाबिल दावा दिनांक 12.06.1986 को जवाब दावा पेश किया । तत्पश्चात् दिनांक 21.07.1986 को उक्त प्रकरण में वादी हीरालाल की मृत्यु होने से उसके विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा कायम मुकाम बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, तत्पश्चात् उक्त प्रकरण 24.04.1989 को दावा वादी स्व0 हीरालाल का माननीय न्यायालय द्वारा अदम हाजरी में खारिज फरमा दिया गया। स्व0 हीरालाल का जो नाम अंकित हो गया है, उसको दुरूस्त कराकार वादी वाद ग्रस्त भूमि को जिसका कि वादी खातेदार कृषक है अपने नाम पुनः बहैसियत खातेदार कृषक राजस्व इन्द्राज दुरूस्त करवा कर घोषित कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में लडाई झगडा करके वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की नियत से नाजायज पार्टी बनाकर कब्जा करने पर पूर्ण रूप से आमादा है। अतः वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री प्रदान फरमायी जावे कि वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 126 की 9 बीघा 2 बिस्वा माल तृतीय ग्राम घांटोलिया तहसील सांगोद का खातेदार कृषक इन्द्राज दुरूस्त कर घोषित करे। नियमानुसार वादी का खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2024 के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार कर ग्राम घाटोलिया की खसरा संख्या 126 की 9 बीघा 2 बिस्वा माल तृतीय तथा वर्तमान खसरा नं0 176 की 1.47 हे0 आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के स्थान पर दर्ज किए जाने के तथा वादी कम 01 के वारिसान 1/1 लगायत 1/6, 1/2 हिस्से में तथा वादी कम 2 रामरतन को 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण के स्थान पर दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किये।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलांट प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 की ओर से वकील सुरेन्द्र माहेश्वरी उपस्थित हुए। मियाद के बिन्दु पर अधिवक्तागण की बहस सूनी जाकर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाकर न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलाण्टस् के विरूद्ध बिना सूचना दिये तथा बिना सुनवाई एवं जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये ही वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री करने में भारी कानूनी भूल की है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को पारित किया गया है, जबकि इस दिनांक से पूर्व ही प्रतिवादी नम्बर 1 भैरूलाल की पुत्री कायम मुकाम प्रतिवादी 1/2 पार्वती का देहान्त दिनांक 12.11.2018 को हो गया था, इसी प्रकार उक्त वाद में प्रतिवादी नम्बर–2 मोहनलाल के कायम मुकाम पुत्र नरेन्द्र गोचर प्रतिवादी क्रम–1/2 का देहान्त दिनांक 10.05.2024 को वाद के विचाराधीन रहते हुऐ हो गया था, जिसकी जानकारी वादी रेस्पोण्डेन्टस् को भलीभांति थी किन्तु फिर भी जल्दबाजी में उक्त वाद का फैसला अपने पक्ष में करवाने हेतु उक्त मृतक पार्वती व नरेन्द्र के वैध वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना तथा उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 18.12.2024 को मृत व्यक्यिों के विरूद्ध निणर्य एवं डिक्री पारित कर दिया जो कानून के मूलभूत सिद्धान्तो एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के विरूद्ध होने से उक्त निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया है कि वादीगण मात्र खसरा गिरदावरी मे नाम अंकित होने के आधार पर स्वामित्व मानते हुऐ निर्णय व डिक्री पारित करने मे भारी भूल की है, जबकि वास्तविकता में अपीलाण्टगण एवं उनके पूर्वज् सन् 1960 के पूर्व से ही रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्त चले आ रहे है। क्योंकि अपीलाण्टस् पूर्वज मे घांसी गूजर के दो पुत्र कंवरा व हीरालाल हुऐ जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 में खाता संख्या 38 से दर्ज होकर काबिज काश्त चले आ रहे है, तत्पश्चात कंवरा अविवाहित व लाओलाद फोत हो जाने से वाद निहित आराजी के तन्हा मालिक हीरा पुत्र घांसी कोम गूजर नियमित रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त रहे। जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2077 प्रस्तुत है। हीरालाल की मृत्यु के पश्चात उनके वैध वारिस प्रेम बाई, भैरूलाल, मोहनलाल 1/3, 1/3 हिस्से पर पूर्वत नियमित रिकॉर्डेड खातेदार चले आ रहे है। मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 07. 12. 2013 को, भैरूलाल की मृत्यु दिनांक 29.01.2015 को होने से उनका फोती इन्तकाल अपीलांटगण के पक्ष मे वाद निहित सम्पत्ति में स्थगन होने के कारण तस्दीक नहीं हो सका। लेकिन अपीलांटगण उक्त आराजी पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त है। वादीगण रेस्पोण्डेन्टस् एक तरफ तो मालिकाना हक व स्वत्व के आधार पर वाद निहित सम्पत्ति का खातेदार घोषित होना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी वाद की प्लिडिंग के अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा माननीय न्यायालय से चाहता है। यहां माननीय न्यायालय ने वादी की प्लिडिंग तथ्य व बेसिक कानून के सिद्धान्तो पर ध्यान नही दिया कि दोनो प्लिडिंग कानूनी रूप से विरोधा भाषी होने के कारण चलने योग्य नही थी, फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्वविवेक से कानूनी प्रावधानो का उल्लंघन करते हुऐ उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी है, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण होने से निरस्तनीय है। वादीगण रेस्पोण्डेन्टस् का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा० टी० एक्ट, का प्रस्तुत किया गया था, उक्त वाद में से वादीगण द्वारा धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

की प्लिडिंग, अनुतोष व प्रार्थना नही होते हुऐ भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से वादीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने के ध्येय से वाद निहित भूमि के बंटवारे की भी डिक्री पारित कर दी है, जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलाण्टस् को एक तरफा निर्णय एवं डिक्री होने से पूर्व मे कोई जान कारी नही हो सकी तत्पश्चात अपीलाण्टस् द्वारा दिनांक 28.02.2025 को जमाबन्दी की नकल लेकर पटवारी हल्का के पास वास्ते प्रधानमन्त्री सम्माननिधी के बाबत अनुसंसा के लिये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री जैर अपील के बाबत बताने पर पूर्ण जानकारी कर न्यायालय में उसी दिन दिनांक 28.02.2025 को नकल हेतु प्रार्थना–पत्र देकर दिनांक 05.03.2025 को उक्त निर्णय एवं डिकी की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई । तत्पश्चात रायशुमारी कर विधिक जानकारी कर, अपील के खर्चे के रूपयों का इन्तजाम कर अविलम्ब यह अपील जानकारी की तिथि 05.03.2025 से अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलाण्टस् स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 18.12.2024 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें । अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

6. रेस्पोन्डेन्ट 01 लगायत 07 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी एवं वादी के पूर्वजों दादा परदादा ग्राम घांटोलिया तहसील सांगोद के निवासी है। वादीगण के पूर्वजों तथा वादीगण चौकीदारी का काम करते थे। ग्राम घांटोलिया में वादीगण व वादी के पूर्वज 100 वर्षो से भी अधिक समय से निवास करते आ रहे है। वादीगण व वादिगणों के पूर्वज ग्राम घांटोलिया पटवार क्षेत्र कुन्दनपुर तहसील सांगोद में खसरा नम्बर 126 की 9बीघा 02 बिस्वा माल तृतीया जो कि वादी तथा उसके पूर्व उसके पिता के चौकीदारी में खातेदारी में दर्ज थी। वादी उसके पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर बदस्तूर बहैसियत खातेदार कृषक रा0टे0एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व एवं जागीर रियासत होने से पूर्व से वादी तथा उसके पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है और आज भी वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। जिस के संबंध में वादी द्वारा दस्तावेज वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किये जा चुके है। जिसके पश्चात् माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत तरीके से निष्पक्ष जांच करते हुए विधि सम्मत प्रकिया का पालना करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2024 द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसके बाद भी प्रतिवादी अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करना न्यायालय का वक्त बर्बाद करने की मंशा को दर्शाता है। अपीलांट द्वारा न्यायालय तथा रेस्पो0 वादी का समय बर्बाद करने की नियत से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कहे गए कथन पूर्णतया मिथ्या तथा बेबुनियाद है। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 01 लगायत 07 ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय व डिक्री को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व अधिवक्ता अपीलांट व अधिवक्ता रेस्पो0 01 लगायत 07 की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते जवाब एवं वास्ते कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र के जवाब में विचाराधीन थी। दिनांक 13.11.2020 को कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक नियत की गई जिसके लिए आगामी पेशी 14.12.2020 नियत की गई। दिनांक 14.12.2020 को वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 डलोबाई का नाम डिलीट किए जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक दिनांक 10.02.2021 नियत की गई। आदेशिका दिनांक 07.06.2023 के अनुसार वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया तथा पत्रावली में तनकीयात कायम किए जाने की आवश्यकता नहीं होना बताकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में विचाराधीन थी तथा दिनांक 08.05.2024 को वकील वादी की ओर से साक्ष्य वादी ने रामलाल व रामेश्वर के शपथ पत्र पेश किए गए। आदेशिका दिनांक 15.05.2024 के अनुसार गवाह रामरतन व रामेश्वर के शपथ पत्र पेश होने का अंकन है तथा इसी आदेशिका में वकील वादी द्वारा कोई अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना बताकर साक्ष्य वादी बंद करने का आदेश अंकित है तथा इसी आदेशिका दिनांक 15.05.2024 में प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होना बताकर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किए जाने तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत किए जाने का अंकन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्याायलय द्वारा पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किए बिना तथा प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही पत्रावली सीधे ही वास्ते बहस नियत कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.12.2024 के अनुसार वकील वादी की एकतरफा बहस सुने जाने का आदेश अंकित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण से जवाब दावा नहीं लिया गया, तनकीयात कायम नहीं किया गया तथा ना ही प्रतिवादीगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 की अनिवार्य नियमों की पालाना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांट प्रतिवादीगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलान्टगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का तथा सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय

पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 18.11.2025 को स्वंय उपस्थित हों । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/x/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा